(c) The Board of Directors of the PSUs are being professionalised. The other steps taken include improvement of performance through Signing of MOU, Disinvestment of Shares, Diversification of Activities, Modernisation of Technology, etc.

PSUs in Gujarat Referred to BIFR

8206. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:
SHRI ANANTRAY DEVI;
SHANKBR DAVE:

WiU the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of Public Sector Undertakings which are sick and have been referred to BIFR in the State of Gujarat during the years 1993-94 and 1994-95, district-wise;

(b) whethr studies have been conduc ted to establish the causes of their sickness; and

(c) whether pending decisions by BIFR the flow of funds at the Pre-BIFR level is being maintained?

THE MINISTER OF STATE iN THE MINISITIY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) NTC (G) Ltd. is the only sick public sector in Gujarat registered with BIFR.

(b) The study conducted by Textiles Research Association has attributed the causes of sickness to be old and absolele machinery, old technology, excess man power etc.

(c) For meeting statutory requirement, budgeted provision, is made in the general budget rresented in the Parliament.

औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना

8207. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री आस मोहम्मद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) राज्य-वार कितने प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका हैं तथा राज्य-वार कितने प्रस्तावों को अभी भी अनुमोदित किया जाना हैं ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितने धन का राज्य-वार नियतन किया गया हैं ; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक अनुमोदन प्राप्त होने की संभावना हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) विकास केन्द्र योजना के अधीन आठवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान देश भर में 70 विकास केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इनमें से 69 केन्द्रों का पता लगा लिया गया है और इनकी घोषणा कर दी गई है विवरण–I (नीचे देखिए) 66 परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 41 का मूल्यांकन तथा अनुमोदन किया गया हैं [विवरण–II] (नीचे देखिए) शेष 25 रिपोर्टों का मुख्य एजेन्सियों में मूल्यांकन किया जा रहा हैं। अब तक 154.63 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है।

विकास केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है जिनके लिए बिजली और पानी की आपूर्ति, संचार आदि जैसे अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। एक विकास केन्द्र के विकास के लिए संसाधन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने होते हैं। प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए